अपील सूचना अधिकार संख्या 79/2022(GCMS 2022/274) (आरटीआई नं. 212953531855816) श्री दुलीचन्द वर्मा निवासी वार्ड नं. 7, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दुलीचन्द वर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2022 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी दुलीचन्द वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. आवेदनकर्त्ता व अन्य द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को विषय – गांव कालवासिया में गांव के बीच में लग रहे एयरटेल (मोबाईल) टॉवर के सम्बन्ध में दिनांक 02 व 03.11.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाही, तहसीलदार, पटवारी की समस्त रिपोर्ट, समस्त पत्राचार, समस्त जारी किए गये आदेश, भौतिक रिपोर्ट, नक्शा मौका, हलफिया गवाह, समस्त बयान तथा समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. कालवासिया के वार्ड नं. 9 में रामकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट के घर/प्लाट में लगाये जा रहे मोबाईल टावर के सम्बन्ध में टॉवर कम्पनी व प्लाट/के साथ किये गये अनुबंध, लीज, शपथ पत्र, राशि चालान (रेवन्यू बोर्ड), प्रोपर्टी सम्बन्धी डॉक्यूमेंट, पटा, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, ग्रामीणों आदि का सहमती पत्र, समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

3. मोबाईल टॉवर ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जाने के सम्बन्ध में राज्य व केन्द्र सरकार, ट्राई, टेलिकॉक एजेंसी आदि द्वारा तय किये गये निर्धारित मापदण्ड, योग्यता आदि की समस्त प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक आरटीआई/22/2312 दिनांक 21.11.22 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	आवेदन पत्र का बिन्दु	विभागीय सूचना
1	प्रार्थना पत्र 02 और 03.11.2022 के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही	संलग्न है।
2	कालवासिया के वार्ड नं. 09 में रामकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट के घर/प्लाट में लगाये जा रहे मोबाईल टॉवर के संबंध में समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि	कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
3	मोबाईल टॉवर ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जाने के संबंध में राज्य व केन्द्र सरकार, ट्राई, टेलीकाम एजेंसी आदि द्वारा तय किये गये निर्धारित मापदण्ड, योग्यता आदि की समस्त प्रमाणित प्रतिलिपि	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहनर ने अपीलार्थी का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त नही होना एवं बिन्दु संख्या 3 उनसे सम्बन्धित नहीं होना अंकित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर